

दिनांक:—11.06.2019

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पत्रावली पेशी में ली गयी। प्रार्थीगण व अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थीगण की पहचान श्री नवीन कुमार सेठी वकील ने की। वकील प्रार्थी व प्रार्थीगण स्वयं प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. आगे चलाना नहीं चाहते हैं। मूल वाद खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थीगण के स्वयं के निवेदन पर प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए. में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2015 को खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।